

(12)

माननीय प्रबन्ध परिषद की द्वावादश बैठक दिनांक 06.09.2008 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 06.09.2008 को प्रातः 11.00 बजे उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन (अष्टम तल), लखनऊ के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी –

1	डा० एम०पी० यादव, कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री धीरज साहू, विशेष सचिव (कृषि शिक्षा एवं अनुसंधन) उ०प्र० शासन	सदस्य
3	श्री ओम प्रकाश शर्मा, विधान परिषद सदस्य	सदस्य
4	श्री शाहिद मंजूर, मा० विधायक	सदस्य
5	श्री चन्द्रवीर सिंह, मा० विधायक	सदस्य
6	श्रीमती उर्मिला देवी, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री	सदस्य
7	श्री सतीश कुमार उर्फ सुधीर त्यागी, कृषि उद्योगपति	सदस्य
8	श्री मनोज कुमार, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
9	डा० के० सी० सिंह, प्राचार्य, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
10	श्री हरे नारायण शुक्ल, मण्डलीय अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार, मेरठ	सदस्य
11	श्री अनिल कुमार यादव, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
12	डा० रुद्र प्रताप सिंह, निदेशक पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
13	डा० राजित राम वर्मा, कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
14	श्री सुशील कुमार यादव, वित्त नियन्त्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय कुलपति जी / अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

#### संकल्प सं० 1 माननीय प्रबन्ध परिषद के नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत

माननीय कुलपति जी / अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के नव नामित मा० प्रबन्ध परिषद के सभी सदस्य गणों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों एवं कार्य प्रगति का व्यौरा रखा। माननीय प्रबन्ध परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रबन्ध परिषद की बैठक मेरठ में की जाय। सचिव, प्रबन्ध परिषद ने सदस्यों को बुके भेंट कर स्वागत किया।

#### संकल्प सं० 2 माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 23.02.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 23.02.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

24

**संकल्प सं0 3 माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 23.02.2008 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या ।**

माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 23.02.2008 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या को अवलोकित किया गया । श्री धीरज साहू, आई0ए0एस0, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा सुझाव दिया गया कि अनुपालन आख्या के साथ-साथ संकल्पों पर लिया गया निर्णय भी दर्शाना चाहिए ।

**संकल्प सं07** डा० गजेन्द्रपाल, संयुक्त निदेशक प्रसार के पदनाम को संशोधित पदनाम प्राध्यापक, सस्य विज्ञान (प्रसार) देने के सम्बन्ध में ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपलब्ध पत्र का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जान हेतु निर्णय लिया गया ।  
(कार्यवाही- मुख्य कार्मिक अधिकारी )

**संकल्प सं0 10** अनियमित रूप से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने व इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

शासन के निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तैयार किये गये आरोप पत्र की प्रति मा० प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।

(कार्यवाही- मुख्य कार्मिक अधिकारी / विधिक सलहाकार )

**संकल्प सं0 4** विद्वत परिषद की 35 वीं एवं 36 वीं बैठक क्रमशः 29.अप्रैल, 2008 एवं 31 जुलाई , 2008 का कार्यवृत्त ((Proceeding ) का अनुमोदन ।

विद्वत परिषद की 35 वीं एवं 36 बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पूरे कार्यवृत्त के बजाय वही बिन्दु प्रबन्ध परिषद में एजेण्डे के रूप में रखे जायें जिनको विद्वत परिषद द्वारा प्रबन्ध परिषद में रखने हेतु अग्रसारित किया गया है ।

(कार्यवाही- कुल सचिव )

**संकल्प सं0 5** डा० अजीत कुमार, सहप्रशिक्षक/सहायक प्राध्यापक(उद्यान), कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरादनगर (गाजियाबाद) के अवकाश के संबंध में ।

डा० अजीत कुमार सहप्रशिक्षक/सहायक प्राध्यापक (उद्यान) के अवकाश के सम्बन्ध में विधिक राय लेते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिया जाय । अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये जांच अधिकारी की नियुक्ति हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

(कार्यवाही- मुख्य कार्मिक अधिकारी )

४.

**संकल्प सं06** डा० अजयसेन चौधरी, प्राध्यापक (उद्यान), कृषि ज्ञान केन्द्र बरेली, प्रसार निदेशालय को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर निदेशक (उद्यान) के पद हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित करने के संबंध में।

डा० अजय सेन चौधरी, प्राध्यापक (उद्यान) को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर चयनित होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को सूचित करने एवं नियमानुसार कार्यमुक्त करने के लिये मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

**संकल्प सं07** कृषि विज्ञान केन्द्र, उज्ज्वली (बदायूँ) पर कार्यरत डा० पी० एल० रावत, विषय वस्तु विशेषज्ञ सह प्रशिक्षक(उद्यान) के विरुद्ध जॉचोपरान्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में।

डा० पी० एल० रावत, विषय वस्तु विशेषज्ञ / सह प्रशिक्षक (उद्यान) को जॉच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया तथा उनके द्वारा लिये गये अग्रिम का समायोजन जल्द से जल्द कराया जाय।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी / निदेशक प्रसार)

**संकल्प सं08** विश्वविद्यालय कार्यहित में मुख्यालय, वाह्य शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि ज्ञान केन्द्रों के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादन करने हेतु वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में।

कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत वैज्ञानिकों/ कर्मचारियों का स्थानान्तरण दूसरे कृषि विज्ञान केन्द्रों में ही किया जाय एवं मुख्यालय से कर्मचारियों /शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों का स्थानान्तरण शोध केन्द्र पर किया जा सकता है। उसी प्रकार शोध केन्द्र से कर्मचारियों / शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों का स्थानान्तरण मुख्यालय पर किया जा सकता है। सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर विद्वत परिषद से राय ले ली जाय।

(कार्यवाही— कुल सचिव/ मुख्य कार्मिक अधिकारी )

**संकल्प सं09** भूदश्य एवं उद्यान अनुभाग (Landscaping & Garden Section) हेतु पदों के सूजन के संबंध में।

भूदश्य एवं उद्यान अनुभाग ( Landscaping & Garden Section ) हेतु पदों के प्रस्ताव को माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए उक्त प्रस्ताव को शासन को भेजने हेतु अनुमोदन किया गया। जब तक शासन से स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक विज्ञापन प्रकाशित कराकर ठेके के आधार पर कार्य कराया जा सकता है।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी / विभागाध्यक्ष (उद्यान) )

**संकल्प सं0 10** सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में प्राध्यापक/समकक्ष पदों (वेतनमान रु0 16400—22400) पर कार्यरत वैज्ञानिकों की वरिष्ठता के संबंध में।

वरिष्ठता सूची निर्धारण करने हेतु कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर एवं फैजाबाद तथा पन्तनगर की वरिष्ठता निर्धारण नियमावली मँगाली जाय। तत्पश्चात् विधिक राय भी ले ली जाय। उन सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए एक तुलनात्मक तालिका बना कर उचित निर्णय लिये जाने के लिये मा0 प्रबन्ध परिषद में रखा जाये।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

**संकल्प सं0 11** विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ / सह प्रशिक्षकों को सहायक प्राध्यापक की मान्यता विषयक।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से तय किया गया कि शिक्षकों/वैज्ञानिकों की भांति/विषय वस्तु विशेषज्ञ/सहप्रशिक्षिकों की अधिवर्षता आयु का लाभ 62 वर्ष ही होना चाहिए। सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/निदेशक प्रसार )

**संकल्प सं0 12** विश्वविद्यालय में निर्धारित मानदेय/नियत वेतन पर नये कालेजों में पद भरने तक गेस्ट फेकल्टी लिए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव।

इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अगली बैठक में प्रस्ताव रखने हेतु निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

**संकल्प सं0 13** सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ तथा केन्द्रीय कटाई उपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संस्थान (सीफेट) लुधियाना के बीच स्नात्कोत्तर छात्रों के कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए अनुबन्ध (MOU) हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/ निदेशक शोध)

**संकल्प सं0 14** कृषि अभियन्त्रण एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत “कृषि एवं खाद्य प्रस्करण” में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष )

**संकल्प सं0 15** कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्ड्स्ट टैक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग की स्थापना के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष )

*Su*

**संकल्प सं0 16** विश्वविद्यालय स्तर पर संसाधन बढ़ाने के लिए चक्रीय निधि का प्राविधान एवं इसे संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को Incentive देने हेतु निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही— विभागाध्यक्ष ( कृ०अ०एवं खा० प्रौ० ) )

**संकल्प सं0 17** डा० डी० के० सचान, प्रशिक्षण सहायक (सस्य विज्ञान ) एवं श्री तेज बहादुर यादव , प्रशिक्षण सहायक (पशुपालन) को मा० उच्च न्यायालय , इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पूर्व वेतनमान रु० 2200—4000 के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000—13500 प्रदान किये जाने पर पुर्नविचार करने के सम्बन्ध में ।  
मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर विचार करते हुए नियम—परिनियम में दी गयी U/S 23 के तहत महामहिम कुलाधिपति जी को संदर्भित करने का निर्णय लिया ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

**संकल्प सं0 18** कृषि महाविद्यालय में पृथक सब्जी विज्ञान विभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष (उद्यान))

**संकल्प सं0 19** कृषि महाविद्यालय में उद्यान विभाग में सब्जी विज्ञान अनुभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष (उद्यान))

**संकल्प सं0 20** जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में विभागों के नये नामकरण के सम्बन्ध में ।

मा० प्रबन्ध परिषद ने प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया अतः प्रस्ताव को वापस लेने हेतु निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

**संकल्प सं0 21** सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के दायित्व कार्यक्षेत्र में अवस्थित उत्तर प्रदेश शासन के कृषि, उद्यान, गन्ना तथा पशुपालन विभागों के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन स्टेशनों और औद्योगिक प्रयोग व प्रशिक्षण केन्द्र, गन्ना शोध व प्रशिक्षण केन्द्रों, उ०प्र० गन्ना शोध परिषद और पशुपालन व चारा उत्पादन फार्म आदि को कृषि विश्वविद्यालय मेरठ को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में

मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव को शासन को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया । जो जमीन पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फसल प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मोदीपुरम, मेरठ को दी गयी है उक्त जमीन को उनसे वापस लेने हेतु शासन को लिखा जाये । उक्त संकल्प

पर कृषि निदेशक कृषि निदेशलय के अन्तर्गत आने वाली जमीन को विश्वविद्यालय को देने के लिये सहमत नहीं थे ।

(कार्यवाही— निदेशक शोध )

संकल्प सं0 22 डा० गजेन्द्रपाल, संयुक्त निदेशक प्रसार की Extra ordinary leave अवधि दिनांक 18.06.1998 से 30.06.1998 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

मा० प्रबन्ध परिषद ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

संकल्प सं0 23 उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न शासनादेशों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु स्वीकृत रिक्त पदों को विज्ञापित कर भरने की स्वीकृति हेतु ।

मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि विद्वत परिषद में दोबारा योग्यता निर्धारण कर ली जाय । उक्त के उपरान्त प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में पुनः रखा जाय ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/ कुलसचिव )

संकल्प सं0 24 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पदों को विज्ञापित कर भरने की स्वीकृति हेतु ।

मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि विद्वत परिषद में दोबारा योग्यता निर्धारण कर प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में पुनः रखा जाय ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी/ कुलसचिव )

संकल्प सं0 25 कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में कार्यरत समस्त वैज्ञानिकों (शिक्षण /शोध /प्रसार ) के वार्षिक स्वमूल्यांकन विवरण को संशोधन के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

संकल्प सं0 26 कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के विभिन्न विभागों में अधिनियम के अन्तर्गत नियमों/ परिनियमों में दी गई व्यवस्थानुसार विभागाध्यक्ष का कार्य एवं दायित्व सम्पादित करने के सम्बन्ध में ।

मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा जारी वर्तमान शासनादेश के अनुसार विभागाध्यक्ष का कार्य वरिष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक 03 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाय ।

(वर्गार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

7/4

संकल्प सं0 27 कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षण एवं शोध कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों का प्रस्ताव ।

मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

संकल्प सं0 28 कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बीज विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की स्थापना का प्रस्ताव ।  
मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्णय लिया गया ।  
(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी / विभागाध्यक्ष (पादप प्रजनन विभाग ))


संकल्प सं0 29 अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अ— विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में ।  
मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करने एवं बिना वेतन अवकाश (Leave Without Pay) स्वीकृत करने हेतु निर्णय लिया गया ।  
(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी )

ब— विद्वत परिषद की 37 वीं (विशेष) बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2008 कार्यवृत्त ((Proceeding)) का अनुमोदन ।  
विद्वत परिषद के कार्यवृत्त के संकल्प सं0 2 (मानद उपाधि देने के सम्बन्ध में) का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया तथा मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम को निमंत्रित करने का सुझाव दिया ।  
(कार्यवाही— कुल सचिव )


स— माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों के सुझाव के अनुसार आगामी बैठक में Court Cases तथा विश्वविद्यालय में हो रहे Works के बारे में Summary देने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

  
(सुशील कुमार यादव )

वित्त नियन्त्रक/सचिव, प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित

  
(एम०पी० यादव)

कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद

ए०पी० यादव

कुलपति